

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10992 / 5387

दिनांक :- 19.03.2020

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री शगुप्ता बानो [लिंक न. 10992] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर - [353] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 22/04/2019 से 05/05/2019 तक 14 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 09/05/2019 से 28/06/2019 तक 51 दिवस

दिनांक 02/07/2019 से 11/07/2019 तक 10 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 75 दिवस

उक्त कुल 75 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री शगुप्ता बानो की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

उक्त अवकाश स्वीकृति आदेश वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर से प्राप्त सहमति (पत्रावली सं. प.2(26) वित्त/ राजस्व/ 2010) के क्रम में जारी किए जाते हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10992 / 5387

दिनांक :- 19.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री शगुप्ता बानो [10992] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (कार्मिक III)